पत्र संख्या–21/विविध–12–05/2024

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग,
जल संसाधन विभाग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषयः– बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र अन्तर्गत अनुपयोगी यंत्रों/संयत्रों/उपस्करों की निलामी अथवा रद्दीकरण (विलोपित) करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–186 दिनांक–21.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना में संधारित ऐसे यंत्र/सयंत्र/उपस्कर जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा अनुपयोगी हो गये हैं, वैसी सामग्रियों की निलामी अथवा रद्दीकरण (विलोपित) करने हेतु मुख्य अभियंता स्तर पर गठित की जाने वाली समिति के निर्धारित स्वरूप में बदलाव करने हेतु संशोधित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है। गठित की जाने वाली प्रस्तावित समिति का स्वरूप निम्नवत् है :–

समिति का स्वरूप (बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना) :–

1. संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना –अध्यक्ष
2. निदेशक, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, पटना –सदस्य
3. उप निदेशक–1, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना –सदस्य
4. कार्यपालक अभियंता, फील्ड मशीनरी डिवीजन, दीघा, पटना –सदस्य
5. कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल, पटना –सदस्य
6. सहायक निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना –सदस्य

अतः निदेशानुसार उक्त अनुरोध के आलोक में प्रस्तावित समिति के गठन हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः–122 पटना/दिनांकः–07/03/25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल के माध्यम से पत्र भेजने एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/03/25
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)